तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती धापु देवी बनाम कालुराम वगैरा धारा 188, प्रकरण सख्या 1/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/08/2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे न्यायालय के क्षेत्राधिकारी नही है क्योकि वाद पत्र मे पद संख्या 3 मे तथ्यो के अनुसार वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता/पति से दिनाक 28.08.2017 को इकरारनामा के द्वारा कृषि भूमि खरीद करना बताया गया है स्वीकृत तथ्य है कि टाईटल हक का दस्तावेज नही है न ही इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद की विचारण करने की अधिकारित माननीय न्यायालय का है वादीनी के सम्पूर्ण वाद पत्र का अवलोकन किया जाने पर वादीनी का वाद दिनांक 28.08.2017 इकरारनामा पर आधारित है और उक्त इकरारनामा के आधार पर वादीनी द्वारा समयावधि के भीतर इकरारनामा की पालना करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करना चाहिये 2019(2) आरआरटी 1100 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजमेर के हीराराम बनाम प्रताबी बाई आदेश मे भी इकरारनामा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जो प्रावधित प्रावधानो के अनुसार राजस्व न्यायालय मे संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जोन योग्य है। इस आधार पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा ऐसी स्थिति मे धारा 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र नांमजूर किया जाने का निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र का जबाव न देकर प्रार्थना पत्र पर बहस की गई वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादीनी की बेचान इकरारनामा से खरीदा सुदा भूमि है जो दिनांक 28.8.2017 को खातेदार पीराराम से खरीद किया गया है वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व पति पीरारामजी से दिनाक 28.08.2017 को खरीद कर मोतबीरान गवाह के सामने इकरारनामा निष्पादित किया गया इस आधार पर ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया वादी ने अपने वाद पत्र मे अस्थाई निषेधाज्ञा इकरारनामा के आधार पर प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया गया जो 2019(2) आरआरटी 1100 मे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजेमर के हीराराम बनाम प्रताबी बाई आदेश मे भी इकरारनामा के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया जो प्रावधित प्रावधानो के अनुसार राजस्व न्यायालय मे संधारण योग्य नही होने से खारिज किये जोन योग्य है। ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र नांमजूर का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी लूणी कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज.)	